प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/अका. अनु./ 29486-512 / शैक्षिक–निर्देश/2014–15 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

विषयः– माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु प्रभावी कार्यवाही करने विषयक।

महोदय,

विद्यालय स्तर पर शैक्षिक परिवेश का परिवर्धन करने शिक्षकों एवं संस्थाध्यक्षों में प्रभावी शैक्षिक नियोजन हेतु क्षमता विकसित करने एवं स्थानीय जन समुदाय में शिक्षण संस्थाओं के प्रति विश्वास उत्पन्न करने में जनपदीय/विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों की अहम भूमिका होनी चाहिये।

विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु संस्थाध्यक्षों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसके लिये निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

A. कार्यालय के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन–

1. शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों विशेषकर जी.पी.एफ., अवकाश, अवशेष वेतन आहरण का समयान्तर्गत निस्तारण ताकि शिक्षकों को कार्यालय में आने हेतु मजबूर न होना पड़े।
2. शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का संकलन (अद्यतन सूचनायें संग्रहित कर विद्यालयवार आवश्वयकताओं की पहचान)
3. शिक्षकों की पदोन्नति हेतु सेवा अभिलेखों एवं वरिष्ठता सूचियों का समयान्तर्गत प्रकाशन।
4. शिक्षकों की वर्षवार चरित्र पंजिकाओं का संकलन एवं अभ्युक्ति के उपरान्त सक्षम स्तर को प्रेषण।
5. विद्यालय स्तर पर उत्पन्न विवादों को तत्काल समझबूझ के साथ निस्तारित करना।
6. सेवा निवृत्ति प्रकरणों का समयान्तर्गत निस्तारण।

B. विद्यालयों का सतत पर्यवेक्षण–

प्रायः राज्य स्तर से सघन निरीक्षण/निरीक्षण निर्देश प्राप्त होने पर जनपद/विकासखण्ड स्तर से विद्यालयों के निरीक्षण किये जाते हैं। जनपद/विकासखण्ड स्तर से विद्यालयों के सतत् पर्यवेक्षण सामान्यतः होने चाहिए। विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपेक्षा है कि:–

1. विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु सतत् कार्ययोजन बनाई जाय।
2. पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी ली जाय तदुपरान्त समाधानात्मक निर्देश प्रदान करते हुये विद्यालय में उपयोगी शैक्षिक वातावरण सृजन हेतु सुझाव दिया जाय।
3. विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने हेतु सक्षम स्तर से निस्तारण करवाया जाय। जन समुदाय को भी सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया जाय।
4. विद्यालय स्तर पर मानवीय संसाधनों का क्षमता के अनुरूप सकारात्मक उपयोग हेतु निर्देश दिया जाय। जैसे अमुक विषय में प्रवक्ता का पद रिक्त होने पर एल.टी. संवर्ग से अधिमानी अर्हता वाले शिक्षक/एल.टी. में पद रिक्त होने पर प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक से अध्यापन करवाया जाय। तद्नुसार टाइम टेबल में आनुपातिक परिवर्तन करने का सुझाव दिया जाय। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों के Feed back का भी उपयोग किया जाय।
5. विषय विशेष में प्रायः बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर का आकंलन कर शिक्षकों से चर्चा की जाय।

C. संस्थाध्यक्षों की बैठक–

1. संस्थाध्यक्षों की मासिक बैठकें जनपद स्तर/क्षेत्रवार आयोजित की जाय (ध्यान रहे कि संस्थाध्यक्षों को बैठक हेतु 1 दिन का ही उपयोग करना पड़े इसके लिये बैठकों के स्थान/क्षेत्र निर्धारित किये जा सकते हैं), किन्तु संस्थाध्यक्षों की बैठकें 2 माह में 1 बार अवश्य आयोजित की जाय।

2. बैठकों में संस्थागत सूचनाओं को तत्काल संकलित कर Update करने हेतु सम्बन्धित पटल सहायक को निर्देश दिये जांय। सूचना संकलन प्रपत्र बार–बार बदलना नहीं चाहिये। सूचना संकलन की अवधि अधिकतम 1 घण्टा होना चाहिये।

3. बैठक में संस्थाध्यक्षों से पठन–पाठन में आने वाली कठिनाइयों पर मन्तव्य लिया जाय तथा इसका अभिलेखीकरण भी किया जाय।

4. पर्यवेक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवों को संस्थाध्यक्षों के साथ साझा किया जाय।

5. विद्यालय में शैक्षिक अभिवृद्धि के लिये जागरूक संस्थाध्यक्षों द्वारा किये गये प्रयासों को भी साझा किया जाय।

6. एल.एल.ए. के परिणामों का विश्लेषण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय।

7. एल.एल.ए./परिषदीय परीक्षा में कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को सचेत किया जाय, किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत कारकों को भी ध्यान से सुनकर सकारात्मक सुझाव दिये जांय।

8. पैनल इन्सपेक्सनों की आख्याओं को भी चर्चा का विषय बनाया जाय। पैनल इन्सपेक्टर प्रभावी शैक्षिक समझ वाले ही नियुक्त किये जायं।

9. विगत बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा भी की जाय।

10. विद्यालयवार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थाध्यक्षों एवं शिक्षकों का रिसोर्स ग्रुप तैयार किया जाय तथा समय–समय पर उनसे सुझाव प्राप्त किये जायं।

D. कठिन विषयों में आने वाली समस्याओं की समीक्षा–

प्रायः देखा जाता है कि हाईस्कूल स्तर पर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इण्टर स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र आदि विषयों में छात्र कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमुक विषयों में छात्र/छात्राओं के कमजोर प्रदर्शन के कारकों का परीक्षण कर समयान्तर्गत निदान किया जाय।

1. अमुक विषयों में कमजोर प्रदर्शन के कारणों की जानकारी हेतु विषय अध्यापकों से Feed back लिया जाय।

2. पर्यवेक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं का सम्प्राप्ति स्तर एवं **Feed back** लिया जाय।

3. कठिन सम्बोधों की सूची बनवाकर उनके अधिगम/समझने में आने वाली परेशानियों का सारणीकरण किया जाय।

4. संस्थाध्यक्षों की बैठकों में भी विद्यालयवार परीक्षाफल के आधार पर शिक्षकों से प्राप्त सुझाव संकलित किये जांय।

5. इस हेतु जनपद स्तर पर स्थित डायट के 1/2 सन्दर्भदाताओं को संकलन एवं विश्लेषण की जिम्मेदारी दी जाय तथा विश्लेषण के उपरान्त आख्या निदेशालय एवं एस.सी.ई.आर.टी. को भी भेजी जाय।

6. एल.एल.ए. के विश्लेषणों का भी सीखने–सीखाने की प्रक्रिया में प्रभावी उपयोग किया जाय।

7. प्रयोगशालाओं का उपयोग क्रियात्मक शिक्षण हेतु करते हुए उपयोगी शैक्षिक वातावरण सृजन करवाया जाय। इस हेतु डायट स्तर पर विषयवार शिक्षकों की कार्यशालायें आयोजित की जाय। इसके लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों/संस्थाध्यक्षों को सन्दर्भदाता बनाया जा सकता है। डायट में उपलब्ध शिक्षक शिक्षकों के मद को इस हेतु नियोजित किया जा सकता है।

भवदीय

(आर. के. कुँवर)
निदेशक

पृ0सं0/अका./ 29486-572 / शैक्षिक–निर्देश/2014–15 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड।

(आर. के. कुँवर)
निदेशक